सूचना का अधिकार अधिनियम्, 2005 के अन्तर्गत
आवेदन पत्र

आवदेन संख्याः **BAAP/IRTIC/2017/105** दिनांकः **01/06/2017**

प्राथी,

दर्श चौधरी (समाजसेवी),

डाक पताः भारतीय सूचनाधिकार परिषद, सनकासोई, रोड नंबर – 04, डिमना रोड, मानगो,

जमशदेपुर, पूर्वी सिंहभमू – 831018, झारखण्ड, भारत।

सेवा में,

जन सूचना पदाधिकारी,

शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार),

नई दिल्ली, दिल्ली, भारत।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम्, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं/जानकारियों को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन के संबंध में।

महादेय/महोदया,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम्, 2005 के अंतर्गत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं/जानकारियों को प्रदान करने का कष्ट करें। आपसे निवेदन/अनुरोध है कि आवदेन का जवाब देते समय उपरोक्त आवेदन संख्या जरुर लिखें तथा हिन्दी भाषा का ही उपयोग करें।

1. उपरोक्त विषयक एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों में नियुक्त सभी वरिष्ठ एवं अवर पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके सहयोगियों के शैक्षणिक योग्यताओं (दसवीं कक्षा, बारहवीं कक्षा, स्नातक एवं अन्य) का प्रवेश पत्र, अंकपत्र, पंजीकरण पत्र एवं प्रमाणपत्र का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ उक्त सभी वरिष्ठ एवं अवर पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके सहयोगियों का प्रथम नियुक्त पत्र का भी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (शब्दों की संख्याः 73)

2. उपरोक्त विषयक एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों में नियुक्त सभी वरिष्ठ एवं अवर पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके सहयोगियों के नवीनतम चल एवं अचल संपति के ब्यौरा का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ साथ ही साथ उक्त सभी वरिष्ठ एवं अवर पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके सहयोगियों के नवीनतम वेतन पर्ची/वेतन अधिकार पत्र का प्रमाणित प्रतिलिपि बिन्दुवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (शब्दों की संख्याः 68)

3. उपरोक्त विषयक एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी विभागों/मुख्यालयों/कार्यालयों में नियुक्त सभी वरिष्ठ एवं अवर पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके सहयोगियों को कौन–कौन से सरकारी सुख–सुविधायें सरकार द्वारा प्राप्त होता है एवं उसपर खर्च होने वाले धनराशियों का विवरण विस्तार में बिन्दुवार प्रमाण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ यह भी बताने का कष्ट करें कि उक्त उक्त सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके सहयोगियों को कौन–कौन से अतिरिक्त वृत्ति/भत्ता सरकार द्वारा प्राप्त होता है। (शब्दों की संख्याः 78)

4. उपरोक्त विषयक द्वारा नागरिकों के शिकायतों पर कार्यवाई कर संतोषजनक समाधान उपलब्ध नही कराने वाले संबंधित पदाधिकारियों पर उचित कार्यवाई करने हेतु कौन–कौन से कानूनों/नियमों/अधिनियमों को बनाया गया है, इसका विवरण प्रमाण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (शब्दों की संख्याः 40)

5. सूचना का अधिकार अधिनियम्, 2005 की धारा 2 (ञ) (1) के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी भी सरकारी कार्यों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है। अतः उपरोक्त कंडिकायों से संबंधित

सभी कार्यों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का मैं निरीक्षण करना चाहता/चाहती हूँ। कृपया कर मुझे तिथि, समय एवं स्थान बताने का कष्ट करें जब मैं आकर उपरोक्त कंडिकायों से संबंधित कार्यों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों का निरीक्षण कर सकूं। (शब्दों की संख्याः 72)

6. उपरोक्त कंडिकाओं से संबंधित निरीक्षण करने के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज के प्रतिलिपियों की आवश्यता होगी तो कृपया कर मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम्, 2005 की धारा 2 (ञ) (2) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क लेकर संबंधित प्रतिलिपियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (शब्दों की संख्याः 45)

मैं बी० पी० एल० कार्डधारी हूँ इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम्, 2005 के अंतर्गत आने वाले सभी देय शुल्कों से मुक्त हूँ एवं मेरा बी० पी० एल० कार्ड नंबर .... है।

– या –

मैं आवदेन शुल्क के रुप में .... रुपये का .... पारेस्टल ऑडर/मनी ऑडर साथ में जमा रहा/रही हूँ जिसका क्रमांक संख्या .... है। मैं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कोई भी अतिरिक्त शुल्क/प्रभार यदि लागू हो तो देने के लिये वचनबद्ध हूँ। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अंदर मेरे आवदेन से संबंधित सभी सूचनाओं का लिखित या इलैक्ट्रानिक माध्यम में जवाब/प्रतिउत्तर उपलब्ध कराई जाए।

महत्वपर्णू जानकारी: यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नही है तो सूचना का अधिकार अधिनियम्, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञाक लेते हुए मेरे आवदेन को संबंधित विभाग/कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी को पाँच दिनों की समयावधि के अंदर हस्तान्तरित करें। साथ ही साथ इस अधिनियम् के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम, पद, डाक पता एवं संपर्क संख्या अवश्य बतायें। धारा 7 (3) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क हेतु विवरण संगणक सहित देना होगा। धारा 7 (9) के अंतर्गत सूचना उसी प्रारुप में दी जानी चाहिए जिस प्रारुप में मांगी गई है। धारा 8 (1) (ञ) के अंतर्गत जो सूचना भारतीय संसद या राज्यों के विधान सभाओं को दिये जाने से इंकार नही कि जा सकती, किसी व्यक्ति/आवेदक को भी इंकार नही की जायेगी। धारा 20 (1) एवं 20 (2) के अंतर्गत जुर्माना एवं अर्थ दंड का प्रावधान है।

मैं एततद्वारा सूचित करता/करती हूँ कि मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ एवं सूचना का अधिकार अधिनियम्, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हतु अधिकृत हूँ। मैं वचन देता/देती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में प्राप्त सूचना का प्रयोग/हस्तांतरण/सम्मिलित/प्रदर्शन/वितरण जो कि देशहित में नही आता है, नही करुँगा/करुँगी। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना/घोषणा गलत पाई गयी तो मैं इसका स्वंय जिम्मेदार होऊँगा/होऊँगी एवं इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो जाऊँगा/जाऊँगी।

आपका/आपकी विश्वासी

(दर्श चौधरी)

समाजसेवी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष

संपर्क संख्याः 08797332777, 08797779888

नोटः– आपके मत्रांलय/विभाग/कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचारों/समस्याओं/लापरवाहियों को खत्म करने के लिए आपका सहयोग अनिवार्य है। आपके मत्रांलय/विभाग/कार्यालय से संबंधित भ्रष्ट एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पदाधिकारियों/कर्मचारियों/व्यक्तियों के द्वारा अगर मेरे/मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का गलत तथा बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास किया गया/जायेगा या मुझे/मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का क्षति पहुचाने का प्रयास किया गया/जायेगा तो आप मुझे अपना समर्थन देते हुए मेरा/मेरे परिवार का बचाव करें अन्यथा मुझ/मेरे परिवार से संबंधित आरोपों/क्षतियों में आपका भी सहभागिता समझा जायेगा।